52

नीति आयोग
(NITI Aayog)

स्थापना

13 अगस्त, 2014 को मोदी सरकार ने 65 वर्ष पुराने योजना आयोग को भंग कर इसके स्थान पर एक नये निकाय की निकट भविष्य में स्थापना की घोषणा की। उसी के अनुरूप 1 जनवरी, 2015 को नीति आयोग (NITI Aayog, National Institution for Transforming India) की स्थापना योजना आयोग के उत्तराधिकारी के रूप में की गई।

उल्लेखनीय है कि नीति आयोग योजना आयोग की ही तरह भारत सरकार के एक कार्यकालकीय संकल्प[1] (केन्द्रीय मंत्रिमंडल) द्वारा सृजित निकाय है। इस प्रकार यह न तो संवैधानिक, न ही वैधानिक निकाय है। दूसरे शब्दों में, यह एक गैर-संवैधानिक अथवा संविधानेत्तर निकाय है, साथ ही एक गैर-वैधानिक (संसद के किसी अधिनियम द्वारा अधिनियमित नहीं) निकाय भी है।

नीति आयोग भारत सरकार की नीति-निर्माण का शीर्ष प्रबुद्ध मंडल अथवा 'थिंक टैंक' है, जो निदेशकीय एवं नीतिगत दोनों प्रकार के इनपुट प्रदान करता है। भारत सरकार के लिए रणनीतिक एवं दीर्घकालीन नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रकल्प तैयार करते हुए नीति आयोग केन्द्र एवं राज्यों को प्रासंगिक तकनीकी सलाह भी देता है।

योजना आयोग युग की पहचान या नीतियों का केन्द्र से राज्य को एकतरफा प्रवाह है, जो कि अब राज्यों के वास्तविक एवं सतत् भागीदारी से प्रतिस्थापित हो गया है।

पूर्व के आदेश एवं नियंत्रण दृष्टिकोण में परिप्रेक्ष्यात्मक बदलाव के रूप में नीति आयोग अब विविध वैचारिक दृष्टिकोणों को संघर्षवादी रुख नहीं अपनाकर सहयोगात्मक स्थिति में समायोजित करता है। संघवाद की भावना के अनुरूप 'नीति' की अपनी नीतिगत सोच भी 'आधार से शीर्ष' न कि 'शीर्ष से आधार' दृष्टिकोण के आधार पर रूपायित होती है।

तर्काधार

योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना का कारण स्पष्ट करते हुए भारत सरकार ने निम्नलिखित राय व्यक्त की, ''भारत पिछले छह दशकों के अंदर एक परिप्रेक्ष्यात्मक बदलाव से गुजरा है - राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रौद्योगिकीय, साथ ही जनसांख्यिकीय रूप में। इस बीच राष्ट्रीय विकास में सरकार की भूमिका भी समांतर रूप में विकसित या परिवर्तित होती गई है। बदलते समय के साथ संगति बैठाते हुए भारत सरकार ने पूर्ववर्ती योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना भारत की

जनता की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति बेहतर ढंग से करने के उद्देश्य से की।''[2]

नई संस्था विकासात्मक प्रक्रिया के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगी, सार्वजनिक क्षेत्र तथा भारत सरकार के सीमित दायरे से बाहर जाकर विकास के प्रति एक समग्र दृष्टि अपनाते हुए एक सामर्थ्यपूर्ण वातावरण को निर्मित एवं पुष्ट करने के लिए। इसके निर्माण के आधार निम्न होंगे[3]:

1. राष्ट्र के विकास में राज्य की बराबर के भागीदारी के रूप में सशक्त भूमिका, सहकारी संघवाद के सिद्धांत को कार्यरूप में परिणत करते हुए।
2. आंतरिक एवं बाह्य संसाधनों के एक ज्ञान केन्द्र जो कि सुशासन के सर्वोत्तम प्रचलनों के कोष (या भंडार) के रूप में तथा एक प्रबुद्ध मंडल या 'थिंक टैंक' के रूप में कार्य करते हुए सरकार के सभी स्तरों पर ज्ञान तथा रणनीतिक विशेषज्ञता प्रदान करे।
3. कार्यान्वयन संभव बनाने वाला एक सहयोगी मंच जो कि प्रगति का अनुश्रवण करके, अंतरों को पाटते हुए केन्द्र एवं राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों को एक साथ लाकर विकासात्मक लक्ष्यों को साझे प्रयत्नों से पूर्ति करे।

इसी संदर्भ में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, ''पैंसठ वर्ष पुराना योजना आयोग एक निरर्थक संगठन बन कर रह गया था। यह आदेशात्मक आर्थिक व्यवस्था के लिए तो प्रासंगिक था लेकिन अब नहीं। भारत एक विविधतापूर्ण देश है और इसके अनेक प्रांत अपनी ताकतों एवं कमजोरियों के साथ आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं। इस संदर्भ में, 'सब के लिए समान' नीति वाला आर्थिक नियोजन अब हमारे लिए पुराना पड़ चुका है। यह भारत को आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धी नहीं बना सकता।''[4]

संकल्प में कहा गया, ''सबसे महत्वपूर्ण बात शायद यह है कि संस्था को इस सिद्धांत का ध्यान रखना चाहिए कि बाहर से सकारात्मक प्रभावों को अपनाते हुए भी कोई एक बाहरी मॉडल भारतीय परिदृश्य में प्रत्यारोपित नहीं किया जा सकता। हमें वृद्धि की अपनी रणनीति की खोज करनी है। नई संस्था को शून्य से शुरुआत कर यह तय करना है कि भारत में और भारत के लिए क्या उपयोगी होने वाला है। यही विकास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण होगा।''

गठन

नीति आयोग का गठन निम्नवत है:

(क) **अध्यक्ष:** भारत के प्रधानमंत्री

(ख) **शासी परिषद (Governing Council):** सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केन्द्र शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं विधायिकाएँ (जैसे-दिल्ली और पुडुचेरी) तथा अन्य केन्द्रशासित क्षेत्रों के उप-राज्यपाल।

(ग) **क्षेत्रीय परिषदें:** इन परिषदों का गठन एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों के समाधान के लिए किया जाता है। इनका एक निश्चित कार्यकाल होता है। इनका संयोजकत्व प्रधानमंत्री करते हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केन्द्रशासित क्षेत्रों के उप-राज्यपाल इसमें शामिल रहते हैं। इन परिषदों का सभापतित्व नीति आयोग के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति करते हैं।

(घ) **विशिष्ट आमंत्रित:** विशेषज्ञ, सुविज्ञ एवं अभ्यासी, जिनके पास संबंधित क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं योग्यता हो, प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं।

(ङ) **पूर्णकालिक सांगठनिक ढाँचा:** प्रधानमंत्री के अध्यक्ष होने के अतिरिक्त निम्नलिखित द्वारा इसका गठन होता है:

(i) *उपाध्यक्ष:* ये प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं और इनका पद कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है।

(ii) *सदस्य:* पूर्णकालिक ये राज्यमंत्री के पद के समकक्ष होते हैं।

(iii) *अंशकालिक सदस्य:* अधिकतम दो, जो कि प्रमुख विश्वविद्यालयों, शोध संगठनों तथा अन्य प्रासंगिक संस्थाओं से आते हैं और पदेन सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। अंशकालिक सदस्यता चक्रानुमण पर आधारित होगी।

(iv) *पदेन सदस्य:* प्रधानमंत्री द्वारा नामित केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम चार सदस्य।

(v) *मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी:* एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त, भारत सरकार के सचिव पद के समकक्ष।

(vi) *सचिवालय:* जैसा आवश्यक समझा जाए।

विशेषज्ञता प्राप्त शाखाएँ

नीति आयोग के अंतर्गत अनेक विशेषज्ञता प्राप्त शाखाएँ होती हैं:[5]

1. **शोध शाखा:** यह अपने क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों एवं विद्वानों के समर्पित 'थिंक टैंक' के रूप में आतंरिक प्रक्षेत्रीय सुविज्ञता का विकास करती है।
2. **परामर्शिता शाखा:** यह सुविज्ञता एवं निधियन के विशेषज्ञ पैनल की एक मंडी उपलब्ध कराता है जिसका उपयोग केन्द्र एवं राज्य सरकारें अपनी जरूरतों के अनुसार कर सकती है। यहाँ समस्या समाधानकर्ता उपलब्ध हैं - सार्वजनिक एवं निजी, देशी एवं विदेशी। नीति आयोग कुल सेवाएँ प्रदान करने के स्थान पर 'मैच मेकर' के रूप में कार्य करता है, जो प्राथमिकता वाले मामलों में अपने संसाधनों को एकाग्र करता है। शोध मामलों में मार्गदर्शक तथा एक समग्र गुणवत्ता जाँचकर्ता का कार्य करता है।
3. **टीम इंडिया शाखा:** इसमें प्रत्येक राज्य एवं मंत्रालय के प्रतिनिधि होते हैं और यह राष्ट्रीय सहयोग एवं सहकार के एक स्थाई मंच के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक प्रतिनिधि:
   (क) सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक राज्य/मंत्रालय का मत नीति आयोग में सतत रूप से सुना जाए।
   (ख) राज्य/मंत्रालय तथा नीति आयोग के बीच विकास संबंधी सभी मामलों पर समर्पित सम्पर्क अंतरापृष्ठ के रूप में प्रत्यक्ष संचार चैनल स्थापित करता है।

नीति आयोग केन्द्र सरकार के मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के नजदीकी सहयोग, परामर्श एवं समन्वय में कार्य करता है। यह केन्द्र एवं राज्य सरकारों के लिए अनुशंसाएँ करता है लेकिन निर्णय लेने एवं लागू करने की जिम्मेदारी उन्हीं पर होती है।

उद्देश्य

नीति आयोग के उद्देश्य निम्नवत हैं:

1. राष्ट्रीय उद्देश्यों के आलोक में राज्यों की सक्रिय सहभागिता से राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, प्रक्षेत्रों एवं रणनीतियों के प्रति साझा दृष्टिकोण का विकास। नीति आयोग का दृष्टिकोण इस स्थिति में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्रियों के लिए 'राष्ट्रीय एजेंडा' की रूपरेखा प्रदान करेगा ताकि उसे अपेक्षित गति मिल सके।
2. सहकारी संघवाद स्थापित करने के लिए सतत् आधार पर राज्यों के साथ संरचित सहयोग पहलों एवं प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना, यह मानते हुए कि मजबूत राज्य ही मजबूत देश का निर्माण कर सकते हैं।
3. ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं के सूत्रण के लिए प्रक्रियाओं का विकास और इन्हें सरकार के उच्चतर स्तरों तक उत्तरोत्तर युक्त करते जाना।
4. यह सुनिश्चित करना कि जो भी क्षेत्र/विषय इसे संदर्भित किए जाते हैं, आर्थिक रणनीति एवं नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा हित शामिल रहें।
5. हमारे समाज के उन वर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखना, जो कि आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं हुए।
6. रणनीतिक एवं दीर्घकालीन नीति एवं कार्यक्रम रूपरेखा एवं पहलों को डिजाइन करना और उनकी प्रगति एवं सक्षमता का अनुश्रवण करना। अनुश्रवण एवं फीडबैक से मिले सबकों के आधार पर नवाचारी सुधार के लिए तत्पर होना जिसमें 'मिड कोर्स करेक्शन' भी शामिल होगा।
7. प्रमुख हितधारकों एवं राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय समान सोच वाले 'थिंक टैंक', साथ ही शैक्षिक एवं नीतिगत शोध संस्थानों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करना एवं आवश्यक सलाह देना।
8. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों, अभ्यासियों एवं अन्य साझेदारों के सहयोगी समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवाचार एवं उद्यमितापूर्ण समर्थक (रक्षा) प्रणाली का सृजन करना।
9. अंतर-प्रक्षेपीय एवं अंतर-विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना ताकि विकास एजेंडा को लागू करने की गति तीव्र की जा सके।
10. एक अत्याधुनिक संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करना, धरणीय एवं समत्वपूर्ण विकास के क्षेत्र में सुशासन एवं सर्वोत्तम प्रचलनों पर हुए शोध के निधान (कोष) के रूप में कार्य करना।
11. कार्यक्रमों एवं पहलों के कार्यान्वयन का सक्रिय रूप से अनुश्रवण एवं समीक्षा करना, साथ ही जरूरी संसाधनों

की पहचान करना जिससे कि वितरण की सफलता की संभाव्यता को मजबूती प्रदान की जा सके।

12. प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा कार्यक्रमों एवं पहलों के कार्यान्वयन के लिए क्षमता निर्माण पर एकाग्रता।
13. राष्ट्रीय विकास एजेंडा तथा उपरिलिखित उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए जरूरी अन्य गतिविधियों को हाथ में लेना।

उपरोक्त के माध्यम से नीति आयोग निम्नलिखित उद्देश्यों एवं अवसरों को पूरा करने का लक्ष्य रखता है:[6]

1. प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य, जिसमें सरकार 'समर्थकारी' हो न कि 'प्राथमिक एवं अंतिम रूप से संभरक या प्रदायक।'
2. 'खाद्य सुरक्षा' से आगे प्रगति कर कृषि उत्पादों के मिश्रण पर साथ ही किसानों को अपने उत्पादों से जो कुछ प्राप्ति होती है, उस पर एकाग्र होना।
3. यह सुनिश्चित करना कि समान वैश्विक मुद्दों पर चल रही चर्चा एवं विचार-विमर्श में भारत एक सक्रिय देश है।
4. यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक रूप से जागृत मध्य वर्ग आर्थिक रूप से सक्रिय रहे, इसकी पूरी क्षमता का उपयोग हो।
5. उद्यमिता, वैज्ञानिक एवं बौद्धिक मानक सम्पदा का लाभ उठाया जाए।
6. अप्रवासी भारतीय समुदाय भू-आर्थिक एवं भू-राजनीतिक सामर्थ्य को साथ लेना।
7. नगरीकरण को एक अवसर के रूप में उपयोग कर एक परिपूर्ण एवं सुरक्षित आवासन का सृजन, जिसमें आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हो।
8. प्रौद्योगिकी का उपयोग कर अभिशासन में अपारदर्शिता एवं दु:साहसपूर्ण का कार्रवाई की संभावना को कम से कमतर करना।

नीति आयोग भारत को चुनौतियों से बेहतर ढंग से जूझने के लिए सक्षम बनाने का लक्ष्य रखता है, निम्नलिखित के माध्यम से:[7]

1. भारत के जनसंख्यात्मक लाभांश का उपयोग कर युवाओं, नर-नारियों की क्षमता का शिक्षा, कौशल विकास, लैंगिक भेदभाव की समाप्ति तथा रोजगार के माध्यम से पूरा लाभ उठाना।
2. निर्धनता उन्मूलन तथा प्रत्येक भारतीय के लिए गरिमापूर्ण एवं आत्मसम्मानयुक्त जीवन का अवसर।
3. लैंगिक पूर्वाग्रह, जाति तथा आर्थिक विषमता के आधार पर उपजी असमानता का समाधान।
4. विकास प्रक्रिया से गाँवों को संस्थागत रूप से जोड़ना।
5. 50 मिलियन छोटे व्यवसायियों को नीतिगत समर्थन जो कि रोजगार सृजन का वृहत स्रोत हैं।
6. अपने पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय परिसम्पत्ति की सुरक्षा।

मार्गदर्शक सिद्धांत

उपरोक्त कार्यों के सम्पादन के लिए नीति आयोग निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा निदेशित होता है[8]:

1. **अंत्योदय:** गरीबों, हाशियाकृत लोगों तथा अभिवंचितों की सेवा एवं उत्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय विचार के अनुसार।
2. **समावेशिता:** असुरक्षित एवं हाशियाकृत वर्गों को सशक्त बनाना, पहचान आधारित हर प्रकार के भेदभाव -लिंग, क्षेत्र, धर्म, जाति अथवा वर्ग, को समाप्त करना।
3. **ग्राम:** विकास प्रक्रिया से गाँव को जोड़ना, हमारे नैतिक बोध, संस्कृति की ताकत और ऊर्जा अर्जित करना।
4. **जनसंख्यात्मक लाभांश:** हमारी सबसे बड़ी परिसम्पत्ति, भारतीय जन का उपयोग करना, शिक्षा, कौशल विकास तथा उनके सशक्तीकरण पर ध्यान देकर तथा उत्पादक आजीविका अवसरों के माध्यम से।
5. **जन-सहभागिता:** विकास प्रक्रिया को जन-चालित बनाकर जागृत एवं सहभागी नागरिकों को सुशासन का चालक या ड्राइवर बनाना।
6. **अभिशासन:** खुले, पारदर्शी, उत्तरदायी, सक्रिय एवं सोद्देश्य अभिशासन शैली को प्रश्रय देते हुए 'लागत से उत्पाद से परिणाम' (from outlay to output to out come) की ओर प्रयासों का अंतरण।
7. **धारणीयता:** अपने नियोजन एवं विकास प्रक्रिया में धारणीयता को केन्द्र में रखना, पर्यावरण के प्रति सम्मान की प्राचीन परम्परा के अनुरूप।

इस प्रकार नीति आयोग प्रभावी अभिशासन के निम्नलिखित सात स्तंभों पर आधारित है:

(i) जन-समर्थक एजेंडा, जो कि समाज के साथ-साथ व्यक्ति की आकांक्षाओं की भी पूर्ति करता हो।
(ii) नागरिकों की जरूरतों का अनुमान कर प्रत्युत्तर के प्रति आगे बढ़कर सक्रियता दिखाना।
(iii) नागरिकों की संलग्नता के माध्यम से सहभागी होना।
(iv) सभी पक्षों में स्त्री सशक्तीकरण
(v) सभी समूहों की समावेशिता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों पर विशेष ध्यान।
(vi) युवाओं के लिए अवसर की समानता।
(vii) प्रौद्योगिकी के माध्यम से पारदर्शिता स्थापित कर सरकार को दृष्टव्य एवं उत्तरदायी अथवा अनुक्रियात्मक बनाना।

सहकारी संघवाद, नागरिक संलग्णता को प्रोत्साहन, अवसरों तक समत्वपूर्ण पहुँच, सहभागी एवं अनुकूली अभिशासन तथा तकनीक के अधिकाधिक उपयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से नीति आयोग विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण निदेशकीय एवं रणनीतिक इनपुट का समावेश करना चाहता है। इसके अलावा विकास संबंधी नये विचारों के 'इन्क्यूबेटर' (ऊष्मायित्र) के रूप में बने रहना नीति आयोग का प्रमुख लक्ष्य है।

आलोचना

योजना आयोग को भंग कर इसके स्थान पर 'नीति आयोग' के गठन केन्द्र सरकार के निर्णय की आलोचना करते हुए विपक्ष ने कहा कि यह कदम मात्र एक शगूफा है। विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की कि नये निकाय से भेदभाव की प्रवृत्ति बढ़ेगी क्योंकि कॉरपोरेट जगत का नीति-निर्माण में दखल बढ़ेगा।

सीपीआई(एम) नेता सीताराम येचुरी ने नीति आयोग की स्थापना को 'अनीति और दुर्नीति' कहा।

श्री येचूरी ने कहा, ''केवल संज्ञा बदलने तथा शोशेबाजी से कोई उद्देश्य नहीं सधेगा। देखना है सरकार की इस संस्था को लेकर क्या योजना है।''

''अगर सरकार वर्ष 2015 के पहले दिन लोगों को इस शगूफे का ही तोहफा देना चाहती है, तब तो अधिक कुछ कहने को नहीं है। यदि नॉर्थ ब्लॉक या वित्त मंत्रालय का राजकोषीय तथा मौद्रिक उद्देश्यों को लेकर सीमित दृष्टिकोण है और यह केन्द्र और राज्यों के बीच अंतिम मध्यस्थ रहने वाला है, तब मुझे डर है कि इस प्रक्रिया का एक हितधारक होने के नाते, राज्यों के साथ भेदभाव जरूर होगा।'', काँग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा:

''आखिरकार योजना आयोग क्या काम कर रहा था? यह योजनाएँ बनाता था। इसलिए केवल योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर के केन्द्र सरकार क्या संदेश देना चाहती है?'' श्री तिवारी ने कहा, यह जोड़ते हुए कि काँग्रेस का योजना आयोग को पुनर्गठित करने का विरोध 'सिद्धांतों' पर आधारित है।

''यह युद्ध लड़ने जैसा नहीं है, यह मामला सिद्धांत का है। भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़कर संघवाद की बात करती रही है कि कैसे संघवाद की वैधता और पवित्रता को बनाए रखा जाए। और अब ये लोग बिलकुल उल्टा काम कर रहे हैं।'' काँग्रेस नेता ने कहा।

वरिष्ठ सीपीआई नेता गुरुदास दासगुप्ता ने कहा, ''योजना आयोग को भंग कर एक नई संस्था खड़ी करने से अर्थव्यवस्था अनियमितता की ओर जाएगी।'' यह केवल नाम बदलना भर नहीं है। योजना आयोग इसलिए भंग किया जा रहा है कि उनका नियोजन में ही विश्वास नहीं है।'' उन्होंने कहा।

''सरकार एक पूर्ण बाजार आधारित अर्थव्यवस्था चाहती है जो कि पूरी तरह अनियमित होगी।'' श्री दासगुप्ता ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि, ''यही सरकार की नीति बन जाती है कि देश को आगे नहीं बढ़ाया जाए, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण नहीं पाया जाए और रोजगार के अवसर सृजित न किए जाएँ, तो यह देश के हित में नहीं होगा।''[9]

''योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर देने पर कोई आपत्ति नहीं है अगर इसके साथ वास्तविक सुधार भी आए। अन्यथा यह पूर्व के नामकरण समारोहों की ही तरह सतही होगा।'' काँग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु संघवी ने कहा कि, ''काँग्रेस योजना आयोग में रचनात्मक सुधार का समर्थन करती लेकिन 'पहचान और मूल संरचना को बदलने का प्रयास हो रहा है और उसका कारण है नेहरूवाद का विरोध और काँग्रेस का विरोध।''[10]

सीपीआई(एम) सेंट्रल कमिटी के सदस्य मोहम्मद सलीम के अनुसार, ''योजना आयोग का नाम बदलने से कोई सार्थक उद्देश्य पूर्ति नहीं होगी।'' उन्होंने आरोप लगाया कि

भाजपा ने योजना आयोग को भंग करने का निर्णय 'नियोजन प्रक्रिया को शिथिल करने के लिए' किया है। उन्होंने कहा कि इसके स्थान पर सरकार को राष्ट्रीय विकास परिषद को और सक्षम बनाने का काम करना चाहिए था।[11]

अधीनस्थ कार्यालय

राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र शोध एवं विकास संस्थान नीति आयोग का अधीनस्थ कार्यालय है। यह पहले इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लायड मैन पॉवर रिसर्च (IAMR) के रूप में जाना जाता था।

इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लायड मैन पॉवर रिसर्च (IAMR) की स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत 1962 में हुई थी। यह विचारों के 'क्लियरिंग-हाउस' के रूप में कार्य करता था और मानव पूँजी विकास पर नीतिगत शोध आयोजित करता था ताकि परिप्रेक्ष्यगत योजना तथा नीतिगत ऐक्य को प्रोत्साहित किया जा सके। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन की की प्रकृति, विशेषताओं एवं उपयोग के बारे में शोध, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं परामर्शिता के माध्यम से ज्ञान बढ़ाना है।

9 जून, 2014 को आइएएमआर का नाम बदलकर एनआइएलईआरडी (National Institute of Labour Economics Research and Development) कर दिया गया है। एनआइएलईआरडी को नीति आयोग (पूर्व के योजना आयोग) द्वारा अनुदान सहायता के रूप में निधि प्राप्त होती है, साथ ही इसके शोध परियोजनाओं तथा शैक्षिक एवं प्रशिक्षकीय गतिविधियों आदि से भी इसे राजस्व की प्राप्ति होती है। एनआइएलईआरडी का मुख्य उद्देश्य एक ऐसे संस्थागत ढाँचे का निर्माण करना रहा है, जिसमें कि व्यावहारिक मानव संसाधन नियोजन शोध प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से स्थायी आधार पर चलाया जा सके।

अपनी शुरुआत से ही संस्थान ने अकादमिक ऊँचाई हासिल करने के लिए अपने प्रक्षेप-पथ का निर्माण स्वयं किया है और इस प्रक्रिया में ने केवल मानव संसाधन नियोजन एवं विकास बल्कि सार्वजनिक नीति एवं कार्यक्रम के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के क्षेत्र में भी अनेक प्रकार की अकादमिक गतिविधियाँ का विकास किया है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान संस्थान ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जुड़े मामलों में उल्लेखनीय गतिशीलता का परिचय दिया है। संस्थान मानव संसाधन नियोजन एवं विकास के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय एवं देश के अंदर के प्रतिभागियों को अकादमिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाले अग्रणी संस्थान के रूप में उभरा है।

संस्थान 2002 में अपने नरेला स्थित परिसर में आ गया। नरेला एक विकासशील शहरी एवं सांस्कृतिक केन्द्र है, जो कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में घोषित है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

पूर्ववर्ती योजना आयोग

पूर्ववर्ती योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार के एक कार्यपालकीय संकल्प द्वारा की गई थी, जो कि 1946 में गठित सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के अनुरूप थी। इस बोर्ड के अध्यक्ष के.सी. नियोगी और इस प्रकार योजना आयोग भी न तो संवैधानिक न ही वैधानिक निकाय था। भारत में यह सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए नियोजन का शीर्ष अंग था।

कार्य

पूर्ववर्ती योजना आयोग के निम्नलिखित कार्य थे:

1. देश के भौतिक, पूँजी एवं मानव संसाधन का आकलन का उनकी संवृद्धि की संभावना तलाश करना।
2. देश के संसाधनों का सबसे प्रभावी एवं संतुलित उपयोग के लिए योजना का सूत्रण करना।
3. प्राथमिकताओं का निर्धारण और उन चरणों को परिभाषित करना जिनमें योजनाओं को कार्यान्वित करना है।
4. आर्थिक विकास को धीमा करने वाले कारकों की पहचान करना।
5. योजना के प्रत्येक चरण के सफल कार्यान्वयन के लिए जरूरी मशीनरी की प्रकृति का निर्धारण।
6. योजना का लागू करने में हुई प्रगति का समय-समय पर मूल्यांकन करना तथा जरूरी समायोजनाओं की अनुशंसा करना।
7. अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उपयुक्त अनुशंसा करना और ऐसे मामलों पर अनुशंसा देना जो इसकी सलाह के लिए केन्द्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा संदर्भित किए गए हैं।

कार्यवाही नियमावली आवंटन (Allocation of Business Rules) ने पूर्ववर्ती योजना आयोग को निम्नलिखित मामले (उपरोक्त के अतिरिक्त) सौंपे थे:

1. राष्ट्रीय विकास में जन-सहयोग
2. समय-समय पर अधिसूचित क्षेत्र विकास के विशेष कार्यक्रम
3. परिप्रेक्ष्य नियोजन (Perspective Planning)
4. इंस्टीट्यूट ऑफ अपलॉयड मैनपॉवर रिसर्च (Institute of Applied Manpower Research)
5. भारतीय विशिष्ठ पहचान प्राधिकरण (Unique Identificaton Authority of India)
6. राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (National Rainfed Area Authority, NRAA) से संबंधित सभी मामले।

पहले नेशलन इनफॉर्मेटिक्स सेंटर भी योजना आयोग के अधीन था। बाद में इसे सूचना-प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन लाया गया।

उल्लेखनीय है कि, पहले योजना आयोग एक 'स्टाफ एजेंसी' था – एक सलाहकार निकाय जिसके पास कोई कार्यपालिका दायित्व नहीं था। यह निर्णय लेने और उसको लागू करवाने के लिए जिम्मेदार नहीं था। यह जिम्मेदारी केन्द्र और राज्य सरकारों पर थी।

गठन

पूर्ववर्ती योजना आयोग के गठन (सदस्यता) के संदर्भ में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया जा सकता है:

1. भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष थे। वही आयोग की बैठकों की अध्यक्षता करते थे।
2. आयोग का एक उपाध्यक्ष होता था, जो कि आयोग का वास्तविक प्रमुख था (अर्थात् पूर्णकालिक कार्यात्मक प्रमुख) पंचवर्षीय योजना को तैयार कर उसका प्रारुप केन्द्रीय मंत्रिमंडल को सौंपने की जिम्मेदारी उसी की थी। उसकी नियुक्ति एक निश्चित कार्यकाल के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की जाती थी और उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था, हालाँकि वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं थ, वह मंत्रिमंडल की बैठकों में आमंत्रित किया जाता था (बिना मत देने के अधिकार के)
3. कुछ केन्द्रीय मंत्री आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होते थे। वैसे वित्त मंत्री एवं योजना मंत्री आयोग के पदेन सदस्य होते थे।
4. आयोग के चार से सात पूर्णकालिक विशेषज्ञ सदस्य होते थे। उन्हें राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त था।
5. आयोग का एक सदस्य सचिव होता था जो कि एक वरिष्ठ आइ.ए.एस. पदाधिकारी होता था।

आयोग में राज्यों का किसी भी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं था। इसलिए योजना आयोग पूर्णतया केन्द्र द्वारा गठित एक संस्था थी।

आंतरिक गठन

योजना आयोग के निम्नलिखित तीन अंग थे:

1. तकनीकी प्रभाग (Technical Division)
2. हाउस-कीपिंग शाखाएँ (House Keeping Branches)
3. कार्यक्रम सलाहकार (Programme Advisors)

तकनीकी प्रभाग

तकनीकी प्रभाग योजना आयोग की प्रमुख कार्यात्मक इकाइयाँ थे। उनका संबंध मुख्यत: योजना-सूत्रण, योजना अनुश्रवण तथा योजना मूल्यांकन से था। इनकी दो कोटियाँ थीं - सामान्य प्रभाग (जिनका संबंध सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था से था) तथा विषय प्रभाग, जिनका संबंध विकास के विशिष्ठ क्षेत्रों से था)।

हाउसकीपिंग शाखाएँ

योजना आयोग में निम्नलिखित आंतरिक व्यवस्था शाखाएँ थीं:

1. सामान्य प्रशासन शाखा (General Administration Branch)
2. स्थापना शाखा (Establishment Branch)
3. सतर्कता शाखा (Vigilance Branch)
4. लेखा शाखा (Accounts Branch)
5. व्यक्तिगत प्रशिक्षण शाखा (Personnel Training Branch)

कार्यक्रम सलाहकार

कार्यक्रम सलाहकार के पद योजना आयोग में 1952 में सृजित किए गए ताकि योजना आयोग तथा भारतीय संघ के राज्यों के बीच वे कड़ी के रूप में कार्य कर सकें।

कार्मिक

योजना आयोग के आंतरिक संगठन में दोहरा पदनुक्रम था – प्रशासनिक एवं तकनीकी। प्रशासनिक पदक्रम के शीर्ष पर सचिव था जिसके सहयोग के लिए संयुक्त सचिव, उप-सचिव, अवर सचिव तथा अन्य प्रशासनिक एवं लिपिकीय कर्मचारी होते थे जिन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, केन्द्रीय सचिवालय सेवा, तथा अन्य गैर-तकनीकी सेवाओं से लिया जाता था।

तकनीकी पदक्रम में शीर्ष पर सलाहकार होता था जिसके सहयोग के लिए चीफ, निदेशक, संयुक्त निदेशक तथा अन्य तकनीकी कर्मचारी होते थे, जिनका चयन भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकीय सेवा, केन्द्रीय अभियंत्रण सेवा तथा अन्य केन्द्रीय तकनीकी सेवाओं से किया जाता था। सलाहकार को भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव अथवा संयुक्त सचिव का दर्जा प्राप्त था।

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की स्थापना 1952 में योजना आयोग की एक स्वतंत्र शाखा के रूप में हुई थी जो कि अब नीति आयोग के अधीन है। हालाँकि यह योजना आयोग (आज के नीति आयोग) के सामान्य निदेशों के तहत ही कार्य करता है।

पीईओ का प्रमुख निदेशक/चीफ होता है जिसके सहयोग के लिए संयुक्त निदेशक, उप-निदेशक, सहायक निदेशक एवं अन्य कर्मचारी होते हैं।

पीईओ के सात क्षेत्रीय कार्यालय हैं – चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, लखनऊ, चंडीगढ़, जयपुर और कोलकाता में, और प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय का प्रमुख उप-निदेशक होता है।

पीईओ पंचवर्षीय योजना में शामिल विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं के कार्यान्वियन का समय-समय पर आकलन करता है और इनके बारे में अपनी राय या फीडबैक से योजना आयोग (नीति आयोग) को अवगत कराता है। यह राज्य मूल्यांकन संगठनों को भी तकनीकी सलाह प्रदान करता है।

23 फरवरी, 2015 को प्रतिवेदित[12] किया गया कि नीति आयोग के अंतर्गत पीईओ में भारी तब्दीली की संभावना है और सरकार पीईओ की संरचना और कार्यों में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए जल्द ही एक कैबिनेट नोट जारी करने वाली है।

आलोचनात्मक मूल्यांकन

योजना आयोग की स्थापना सलाहकार भूमिका वाली एक स्टाफ एजेंसी के रूप में की गई थी। बाद में यह एक मजबूत और निदेशकीय प्राधिकार के रूप में उभरा और इसकी अनुशंसाओं पर संघ और राज्य दोनों विचार करते थे। यहाँ तक कि आलोचकों ने इसे 'सुपर कैबिनेट' की संज्ञा दी, या फिर 'इकोनोमिक कैबिनेट' अथवा 'पैरेलेल कैबिनेट'। इसे 'फिफ्थ व्हील ऑफ दि कोच' भी कहा गया।

योजना आयोग की प्रभुत्वपूर्ण भूमिका के बारे में निम्नलिखित विचार सामने आए:

1. **भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC):** इसके अनुसार, ''संविधान के अंतर्गत मंत्री, चाहे वे केन्द्र के हों या राज्य के, अंतिम कार्यपालिका अधिकारी हैं। दुर्भाग्यवश, योजना आयोग कुछ अंशों में पैरेलेल कैबिनेट, यानी समानांतर मंत्रिमंडल, बल्कि कभी-कभी 'सुपर कैबिनेट' के रूप में जाना जा रहा है।[13]
2. **डी.आर. गाडगिल:** योजना आयोग के पूर्ण उपाध्यक्ष डी. आर. गाडगिल ने भी योजना आयोग की आलोचना करते हुए कहा कि यह अपने कार्यों में विफल रहा है। उन्होंने कहा, ''विफलता की जड़ उस प्रक्रिया में है जिसमें योजना आयोग जो कि मूलत: एक सलाहकार संस्था है ने सार्वजनिक नीति-निर्माण, की प्रक्रिया से स्वयं को युक्त कर लिया है, उन मामलों में भी जो विकास से जुड़े नहीं हैं .... । इस कु-निदेशन को प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के योजना आयोग के सदस्य होने के कारण भी बल मिला है जिसके कारण योजना आयोग और इसके निर्णयों को एक अस्वाभाविक प्रतिष्ठा और महत्व प्राप्त हो गया है।[14]
3. **अशोक चंदा:** अशोक चंदा जो कि एक प्रमुख प्रशासनिक विश्लेषक हैं, कहते हैं, ''आयोग की अपरिभाषित पदस्थिति और इसके विचारार्थ विषय का वृहद क्षेत्र के कारण

आर्थिक कैबिनेट के रूप में इसका विकास होता गया, न केवल संघ बल्कि राज्यों के लिए भी।''

उन्होंने आगे कहा, ''आयोग इस पदस्थिति पर कायम रहकर अपनी गतिविधियों का क्षेत्र ऐसे कार्यों व दायित्वों तक विस्तारित किया जो कि वास्तव में सरकार के कार्य क्षेत्र में आते हैं।'' श्री चंदा ने कहा, ''योजना आयोग की पदस्थिति की प्रमुखता मंत्रिमंडलीय स्वरूप के सरकार की अवधारणा की संगति में नहीं है।[15]

4. **के. संथानम्:** इन संविधानवेत्ता ने कहा, ''योजना ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है।''[16]
5. **पी.वी. राजामन्नार:** चतुर्थ वित्त आयोग के अध्यक्ष राजामन्नार ने संघीय राजकोषीय अंतरणों में योजना आयोग और वित्त आयोग के परस्पर व्यापी प्रकार्यों एवं उत्तरदायित्वों को उजागर किया।[17]
6. **पी.पी. अग्रवाल:** इनके अनुसार, ''यद्यपि योजना आयोग सरकार का एक सलाहकारी या परामर्शदाता निकाय है, यह सार्वजनिक नीति-निर्माण में महत्वपूर्ण रूप से प्रभाव डालने लगा है, उन मामलों में भी जो विकास से संबंधित नहीं हैं, और इसकी सलाहकार की भूमिका समूचे प्रशासन तक विस्तारित है।''[18]
7. **प्राक्कलन समिति:** प्राक्कलन समिति ने विचार व्यक्त किया, ''समय आ गया है जब कि केन्द्र सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के साथ योजना आयोग की सम्बद्धता की पूरी स्थिति की समीक्षा की जाए।''[19]

राष्ट्रीय विकास परिषद का उन्मूलन

1 जनवरी, 2016 को यह समाचार[20] मिला कि मोदी सरकार ने राष्ट्रीय विकास परिषद को भंग करने या समाप्त करने तथा इसकी शक्तियों को नीति आयोग की शासी परिषद को अंतरित करने का निर्णय लिया है। लेकिन अगस्त 2016 तक इस आशय का कोई संकल्प पारित नहीं हुआ है।

यह भी अनिवार्य रूप से उल्लेखनीय है कि, एनडीसी की आखिरी बैठक (57वीं) 27 दिसम्बर, 2012 को 12वीं योजना (2012-17) को स्वीकृत करने के लिए हुई थी।

एनडीसी की स्थापना अगस्त 1952 में भारत सरकार के एक कार्यपालकीय संकल्प द्वारा की गई थी जिसकी अनुशंसा प्रथम पंचवर्षीय योजना (ड्राफ्ट आउटलाइन) में की गई थी। पूर्ववर्ती योजना आयोग की तरह न तो यह संवैधानिक निकाय है, न वैधानिक निकाय।[21]

गठन

एनडीसी का गठन निम्नलिखित से होता है:

1. भारत के प्रधानमंत्री (इसके अध्यक्ष/प्रमुख)
2. समस्त संघीय कैबिनेट मंत्री (1967 से)[22]
3. सभी राज्यों के मुख्यमंत्री
4. सभी संघीय क्षेत्रों के मुख्यमंत्री/प्रशासक
5. योजना आयोग (नीति आयोग) के सदस्य

योजना आयोग (नीति आयोग) के सचिव ही एनडीसी के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। इसे प्रशासनिक एवं अन्य सहायता योजना (नीति आयोग) द्वारा प्रदान की जाती है।

उद्देश्य

एनडीसी की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की गई थी:

1. योजना के कार्यान्वयन में राज्यों का सहयोग प्राप्त करने के लिए।
2. योजना को सहायता देने के लिए राष्ट्र के प्रयासों एवं संसाधनों को मजबूती प्रदान करने के लिए।
3. महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समान आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देने के लिए।
4. देश के सभी भागों का संतुलित एवं द्रुत विकास सुनिश्चित करने के लिए।

कार्य

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एनडीसी के निम्नलिखित कार्य निश्चित किए गए हैं:

1. राष्ट्रीय योजना की तैयारी के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करना।
2. योजना आयोग द्वारा तैयार राष्ट्रीय योजना पर विचार

करना।

3. योजना को कार्यान्वित करने के लिए जरूरी संसाधनों का आकलन करना और इनकी संवृद्धि के उपाय सुझाना।
4. राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना।
5. राष्ट्रीय योजना के कामकाज की समय-समय पर समीक्षा करना।
6. राष्ट्रीय योजना में निश्चित किए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपायों की अनुशंसा करना।

प्रारूप पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग (अब नीति आयोग) द्वारा सर्वप्रथम केन्द्रीय मंत्रिमंडल को भेजा जाता है। इसकी स्वीकृति के पश्चात् इस एनडीसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है स्वीकृति के लिए। इसके बाद प्रारूप योजना संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। संसद की स्वीकृति के बाद इसे आधिकारिक योजना मान लिया जाता है और सरकारी गजट में इसे प्रकाशित किया जाता है।

इस प्रकार, संसद के नीचे एनडीसी उच्चतम निकाय है नीतिगत मामलों को लेकर जिनमें सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए योजनाएँ बनाई जाती हैं। हालाँकि इसे योजना आयोग के एक सलाहकार अंग के रूप में माना गया है और इसकी अनुशंसाएँ बाध्यकारी नहीं होतीं। यह केन्द्र एवं राज्य सरकारों को अपनी अनुशंसाएँ भेजता है और प्रतिवर्ष कम-से-कम इसकी दो बैठकें अनिवार्य है।

आलोचनात्मक मूल्यांकन

एनडीसी का सर्वप्रमुख कार्य केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों एवं योजना आयोग के बीच एक सेतु एवं कड़ी के रूप में कार्य करना है, विशेषकर नियोजन के क्षेत्र में, जिससे कि योजना संबंधी नीतियों एवं कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित किया जा सके। इस कार्य में कुल मिलाकर यह सफल रहा है। इसके अलावा, यह राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर केन्द्र-राज्य विचार-विमर्श के एक मंच के रूप में भी कार्य करता रहा है, साथ ही संघीय ढाँचे में उनके बीच उत्तरदायित्वों के बँटवारे के एक उपकरण के रूप में भी प्रयुक्त होता है।

हालाँकि दो विपरीत विचार इसके कार्यकरण को लेकर व्यक्त किए गए हैं। एक ओर तो इसे 'सुपर कैबिनेट' के रूप में वर्णित किया गया है। इसकी व्यापक और शक्तिशाली संरचना के कारण, जबकि इसकी अनुशंसाएँ सलाहकारी हैं बाध्यकारी नहीं लेकिन तब भी इनके पीछे राष्ट्रीय जनमत होने के कारण इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती और दूसरी ओर इसे मात्र एक 'रबड़ सील' के रूप में मान्यता दी जाती है, क्योंकि मुद्दों पर निर्णय केन्द्र सरकार द्वारा पहले ही लिए जा चुके होते हैं। इस सोच के पीछे कारण केन्द्र और राज्यों में लंबे समय तक काँग्रेस पार्टी का शासन रहा है। तथापि बाद में क्षेत्रीय दलों के उदय के पश्चात् राष्ट्रीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों को ज्यादा तरजीह मिलने लगी।

एनडीसी के कामकाज पर कुछ महत्वपूर्ण लोगों की टिप्पणियाँ ध्यान देने योग्य हैं:

1. **एम. ब्रेचर:** नेहरूजी का जीवनी लेखक ब्रेचर की राय में, ''एनडीसी की स्थापना नियोज्य के एक शीर्षस्थ प्रशासनिक एवं सलाहकार संस्था के रूप में की गई थी। इसके नीतिगत दिशा-निर्देशों को मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत किया जाता रहा। अपनी शुरुआत से ही एनडीसी और इसकी स्थायी समिति ने वास्तव में योजना आयोग की स्थिति को मात्र एक शोध अंग के रूप में अवनत कर दिया।[23]
2. **एच. एम. पटेल:** पूर्व वित्त मंत्री एच.एम. पटेल के अनुसार, ''एनडीसी योजना आयोग के सलाहकार निकायों में शामिल है। यह निश्चित रूप से गलत है, जो कि इसकी संरचना से ही स्पष्ट है। यह वास्तव में नीति-निर्माण की एक संस्था है जिसकी अनुशंसाएँ नीतिगत निर्णय के रूप में मान्य नहीं हो सकती हैं।''[24]
3. **के. संथानमः** प्रमुख संविधान वेत्ता संथानम के अनुसार, ''एनडीसी की स्थिति समूचे भारतीय संघ में एक 'सुपर कैबिनेट' की हो गई है, एक ऐसे मंत्रिमंडल जो भारत सरकार तथा सभी राज्यों की सरकारों के लिए काम करता है।''[25]
4. **ए.पी. जैन:** पूर्व खाद्य मंत्री ने टिप्पणी की, ''एनडीसी अतिक्रमण कर उन कार्यों को हाथ में ले रहा है जो

संवैधानिक रूप से केन्द्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद के हैं, और कभी-कभी यह संबंधित मंत्रालयों से पूछे बिना निश्चित किए गए लक्ष्यों को स्वीकृति दे देता है। एनडीसी न तो कानूनन, न ही अपनी संरचना के लिहाज से राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने के लिए सक्षम है। यह अधिक-से-अधिक वार्ता, चर्चा और सलाह के लिए उपयुक्त है। इसे केन्द्र और राज्यों से संबंधित निर्णयों को मंत्रिमंडलों पर छोड़ देना चाहिए।''[26]

संदर्भ सूची

1. मंत्रिमंडल सचिवालय का संकल्प संख्या - 511/2/1/2015 - cab. दिनांक 1 जनवरी, 2015, भारत के राजपत्र में प्रकाशित, असाधारण, पार्ट 1, सेक्शन 1,दिनांक 7 जनवरी, 2015
2. नीति आयोग पर भारत सरकार का दस्तावेज - ''फ्रॉम प्लानिंग टु एनआईटीआई- ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन डेवेलपमेंट एजेंडा'', दिनांक 8 फरवरी, 2015
3. वही
4. ''हम सुधार को आगे बढ़ाने के लिए संविधान के प्रत्येक प्रावधान का उपयोग करेंगे'' - ओपेन मैगजीन, जनवरी 9, 2015
5. ऊपर संदर्भ 2 देखें
6. प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो का नीति आयोग संबंधी विज्ञप्ति, दिनांक 1 जनवरी, 2015
7. वही
8. ऊपर संदर्भ 2 देखें।
9. ''अपोजिशन अटैक्स गवर्नमेंट ओवर प्लान पैनल न्यू अवतार'', दि एशियन एन, पेज-2, दिनांक 2 जनवरी, 2015
10. ''रीनेमिंग ऑफ प्लान पैनल ड्यु टु एंटी नेहरूवियनिज्म : काँग्रेस'' दि इंडियन एक्सप्रेस, पेज-9, दिनांक 2 जनवरी, 2015
11. ''लेफ्ट पार्टीज स्लैम सेंटर फॉर रीनेमिंग प्लान पैनल'', दि स्टेट्समैन, दिनांक 2 जनवरी, 2015
12. ''आफ्टर प्लानिंग कमीशन, प्रोग्राम इवैल्युएशन ऑर्गेनाइजेशन अंडर नीति आयोग एक्सपेक्टेड टु अंडरगो रीवैम्प,'' दि इकनोमिक टाइम्स, दिनांक 23 फरवरी, 2015
13. इंटेरिम रिपोर्ट ऑन दि मशीनरी ऑफ प्लानिंग, 1967, पैरा 15
14. अपने लास्की लेक्चर, 1958 के दौरान (हैरोल्ड लास्की इंस्टीच्युट ऑफ पोलिटिकल साइंस, अहमदाबाद) पृष्ठ-26
15. अशोक चंदा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जॉर्ज एलेन एंड अनविन, 1958, पृष्ठ-92
16. के. संथानम, यूनियम स्टेट रिलेशंस इन इंडिया, एशिया पब्लिशिंग हाउस, 1960, पृष्ठ-70
17. चतुर्थ वित्त आयोग का प्रतिवेदन, नई दिल्ली, भारत सरकार, 1965, पृष्ठ-88-90
18. अग्रवाल पीपी, ''दि प्लानिंग कमीशन'', इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन, अक्टूबर-दिसंबर, 1957
19. एस्टीमेट्स कमिटी, 1957-58, 21वाँ प्रतिवेदन (दूसरी लोकसभा), पैरा-22
20. ''एनडीसी टु बी स्क्रैप्ड, एनआईटीआई काउंसिल लाइकली टु गेट इट्स पावर्स'', दि हिन्दू दिनांक 1 जनवरी, 2016
21. सरकारिया आयोग, जो कि केन्द्र-राज्य संबंधों पर गठित हुआ था (1983-87), ने अनुशंसा की कि एनडीसी को संवैधानिक दर्जा दिया जाए संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत, और इसका नाम 'नेशनल इकनोमिक एंड डेवेलपमेंट काउंसिल' रख दिया जाए।
22. 1967 के पहले कुछ चुने हुए मंत्रिमंडल (जैसे-गृह, वित्त, रक्षा, विदेश आदि) ही एनडीसी के सदस्य होते थे।
23. एम. ब्रेचर, नेहरू-ए पोलिटिकल बायोग्राफी, ऑक्सफोर्ड, 1959 पृष्ठ-521

24. दि इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अक्टूबर-दिसंबर 1959 पृष्ठ-460
25. के. संथानम्, यूनियन-स्टेट रिलेशंस इन इण्डिया, एशिया पब्लिशिंग हाउस, 1960, पृष्ठ-47
26. ए.पी. जैन, ''फूड प्रॉब्लम एंड दि एनडीसी'', टाइम्स ऑफ इंडिया, 6 मई, 1959 । वे संघीय मंत्रिमंडल में खाद्य मंत्री थे।